AAP-A

FORM NO. III

फर्द अहकाम GRIM-A

(नियम 26)

त- उपखण्ड अधिकारी मुकाम-सपोटरा

दिलीप सिंह वगैरा बनाम योगेन्द्र सिंह वगैरा

दमा २०१ नं. 58/21 सन्

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मदेइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1	वकील वादीगण श्री राजेन्द्र सोनी एड० द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की जावे। पत्रावली दिनांक 6/9/21 को पेश हो।	2572-76 18/8/21
6/9	वकीलों के कन्डोलेंस के कारण पूवानुसार वास्ते. तलबी दिनांक 18/8/21 को पेश हो।	
18/8/21	पत्रावली आज प्रधान गांवों के संग अभियान 2021 में पेश हुई। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध 3 दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। एवं वादीगण को हिस्सा 1/12 की घोषणा खातेदारी दिये जाने की सहमति दी है। पटवारी हल्का बाजना, गिरदावर वृत्त अमरगढ़ की रिपोर्ट एवं तहसीलदार सपोटरा ने भी वादीगण का हिस्सा 1/12 की घोषणा खातेदारी की अभिशंषा की है। अतः पटवारी हल्का बाजना, गिरदावर वृत्त अमरगढ़ की रिपोर्ट, तहसीलदार सपोटरा की अभिशंषा एवं सभी खातेदारान की सहमति के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुदा रिकार्ड नम्बर दाखिल हो।	कनाडवी, दिलीप, शंकरलाल, राजकुमार सिंह, योगेन्द्र सिंह, केशव सिंह, अनिल कुमार, लोकेन्द्र सिंह, मूलचंद, शत्रुघ्न सिंह, कलावती, मंजू, शान्तिवती

प्रपत्र–5

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा जिला करौली

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा।

उनवान

01. दिलीपसिह | पुत्रान स्व0 मुन्नासिह | सभी जातियान राजपूत निवासी मिझौरा
02. भूपेन्द्रसिह | थाना सपोटरा जिला करौली राज0
03. मेवा देवी पत्नि स्व0 मुन्नासिह
04. राधाकंवर पुत्री स्व0 मुन्नासिह

–वादीगण

बनाम

01. योगेशसिह
02. केशवसिह | पुत्रान हरिसिह
03. त्रिलोकसिह | पुत्रान मोतीसिह
04. मूलसिह
05. राजूसिह | पुत्रान झब्बूसिह
06. राकेशसिह
07. अनिलसिह | पुत्रान सुल्तानसिह
08. गजेन्द्रसिह
09. मन्जू | पुत्रीयान सुल्तानसिह
10. भानवंती
11. मीना देवी पत्नि सुल्तानसिह
12. वीरेन्द्रसिह | पुत्रान माधोसिह
13. बृजराजसिह
14. धर्मेन्द्रसिह
15. महावीरसिह | पुत्रान स्व.कैलाशसिह
16. उत्तमसिह
17. अभिलाशा पुत्री कैलाशसिह
18. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा सपोटरा
19. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा सपोटरा
20. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर सपोटरा

सभी जातियान राजपूत निवासी मिझौरा थाना सपोटरा जिला करौली राजस्थान

–प्रतिवादीगण

ा बाबत:– वाद पत्र घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

दमा नम्बर:– 58/21

िय दिनांक:– 22.11.2021

वादीगण की ओर से दिलीपसिह वगै0 की एवं प्रतिवादीगण की ओर से योगेशसिह वगै0 की स्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 22.11.2021 को **श्री ओमप्रकाश मीना आरएएस** उपखण्ड अधिकारी टरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम मिझौरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा 212 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 213 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 214 रकबा 04 वा, खसरा नं0 327 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं0 328 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 329 रकबा 01 वा, खसरा नं0 351 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 352 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 356 घा 02 बिस्वा, खसरा नं0 414 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 415 रकबा 01 बीघा 09 वा, खसरा नं0 खसरा नं0 416 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 447 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा 473 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 515 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 606 रकबा 02 ा 11 बिस्वा, खसरा नं0 607 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 17 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा में हिस्सा 12 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन ां।

यह आज तारीख 22.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर सपोटरा

पीठासीन अधिकारी (SDM)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
सपोटरा जिला–करौली (राज0)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी
	रूपया	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टॉम्प 4. ......रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 6. कमीश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टॉम्प अर्जी के लिए स्टॉम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमीश्नर की फीस
जोड़		जोड़

पीठासीन अधिकारी (SDM)
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 202
सपोटरा जिला–करौली (राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सपोटरा
जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख फाईनल निर्णय
58/21	दावा	06.08.21	22.11.2021

01. दिलीपसिह | पुत्रान स्व0 मुन्नासिह
02. भूपेन्द्रसिह |
03. मेवा देवी पत्नि स्व0 मुन्नासिह
04. राधाकंवर पुत्री स्व0 मुन्नासिह

सभी जातियान मुन्नासिह निवासी मिझौरा थाना सपोटरा जिला करौली राज0

–वादीगण

बनाम

01. योगेशसिह |
02. केशवसिह | पुत्रान हरिसिह
03. त्रिलोकसिह | पुत्रान मोतीसिह
04. मूलसिह |
05. राजूसिह | पुत्रान झब्बूसिह
06. राकेशसिह |
07. अनिलसिह | पुत्रान सुल्तानसिह
08. गजेन्द्रसिह |
09. मन्जू | पुत्रीयान सुल्तानसिह
10. भानवंती |
11. मीना देवी पत्नि सुल्तानसिह
12. वीरेन्द्रसिह | पुत्रान माधोसिह
13. बृजराजसिह |
14. धर्मेन्द्रसिह |
15. महावीरसिह | पुत्रान स्व.कैलाशसिह
16. उत्तमसिह |
17. अभिलाशा पुत्री कैलाशसिह
18. शाखा प्रबन्धक पी.एन.बी. शाखा सपोटरा
19. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा सपोटरा
20. तहसीलदार जरिये लैण्ड होल्डर सपोटरा

सभी जातियान राजपूत निवासी मिझौरा थाना सपोटरा जिला करौली राजस्थान

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट

संक्षेप में वाद तथ्य वादीगण इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं0 2 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 213 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 214 रकबा 04 स्वा, खसरा नं0 327 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं0 328 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 329 बा 01 बिस्वा, खसरा नं0 351 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 352 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, सरा नं0 356 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 414 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 415 बा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 खसरा नं0 416 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 447 रकबा बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 473 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 515 रकबा 03 स्वा, खसरा नं0 606 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 607 रकबा 02 बिस्वा कुल किता रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा भूमि ग्राम मिझौरा पटवार हलका बाजना तहसील सपोटरा दीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 17 की पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है। फरीकेन पत्र में दर्ज पारिवारिक सजरा अनुसार सभी मोतीसिह माधोसिह पुत्रान गजराजसिह राजपूत

पीठासीन अधिकारी (SDM)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
सपोटरा जिला–करौली (राज0)

के वैध वारिसान है। वादीगण 1 ता 4 तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 11 सभी मोतीसिह पुत्र गजराजसिह के वैध वारिसान है। मोतीसिह पुत्र गजराजसिह वादीगण के बाबा है जिनके स्वर्गवास होने पर हल्का पटवारी द्वारा बिना किसी जांच किये गलती से ना0सं0 52 में मोतीसिह के वैध वारिसान उनके पांच पुत्र दर्शाते हुए हरिसह, झब्बूसिह, सुल्तानसिह, फूलसिह, त्रिलोकसिह के नाम नामान्तरकरण भरकर पेश किया जो गलत है नामान्तरकरण सं0 52 की सत्य प्रतिलिपि वाद पत्र के साथ संलग्न है। मुताबिक पारिवारिक सजरा वादीगण के बाबा मोतीसिह पुत्र गजराजसिह के छः पुत्र है जो ग्राम अमरवाड़ पटवार हलका अमरवाड़ तहसील सपोटरा की जमाबंदी में दर्ज है। वादीगण के पिता व पति मुन्नासिह भी मोतीसिह के वैध वारिस है। हलका पटवारी द्वारा वादीगण के पिता व पति मुन्नासिह पुत्र मोतीसिह का नाम उक्त नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। मुन्नासिह के स्वर्गवास होने पर वादीगण उनके वैध वारिसान है। वादीगण अपने पिता व पति स्व0 मुन्नासिह अपने पिता की दर्ज पुश्तैनी खातेदारी की भूमि पर अपने हिस्से अनुसार बिना किसी बाधा रूकावट काबिज काश्त है। वादीगण के पिता व पति मुन्नासिह का स्वर्गवास दिनांक 24.03.2019 को हो चुका है जिनके द्वारा अपने परिवारजन प्रतिवादीगण से कई बार रिकार्ड राजस्व में अपने नाम का इन्द्राज दुरस्त व अपने नाम की घोषणा खातेदारी दर्ज कराने कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने हमेशा यह कर कर टालते रहे कि हम तुम्हारे सगे भाई है तुम्हारा दर्ज पुश्तैनी भूकि पर बरावर कब्जा काश्त है कभी भी तहसील कार्यालय चलकर तुम्हारे नाम की घोषणा खातेदारी जमावंदी में दर्ज करा देंगें। जिसके वादीगण हकूक अधिकारी है। इसलिए उक्त आराजीयात में वादीगण के नाम की अपने हिस्से 1/12 जो मुताबिक पारिवारिक सजरा के घोषणा खातेदारी काश्तकारी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज की जावे।

दावा वादीगण दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। **प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर कैम्प ग्राम पंचायत बाजना में पेश** **पत्रावली आज** प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 शिविर कैम्प ग्राम पंचायत बाजना में पेश की गई। पक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर इकबालिया जवाब दावा पेश कर विवादित आराजीयात में वादीगण को हिस्सा 1/12 की घोषणा खातेदारी किये जाने की सहमति दी है जिसके लिए प्रतिवादीगण ने इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया है। पटवारी हलका बाजना, गिरदावर वृत अमरगढ एवं तहसीलदार सपोटरा की रिपोर्ट तलब की गई जिसके अनुसार विवादित आराजीयात खसरा किता 17 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/12 वादीगण दलीपसिह भूपेन्द्रसिह पि0 मुन्नासिह, मेवा देवी पत्नि स्व0 मुन्नासिह, राधा कंवर पुत्री मुन्नासिह के नाम खातेदारी दर्ज किया जाना उचित होगा। इस प्रकार तहसीलदार सपोटरा की रिपोर्ट एवं सहखातेदार द्वारा प्रस्तुत सहमति के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम मिझौरा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 212 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नं0 213 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 214 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं0 327 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नं0 328 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं0 329 रकबा 01 बिस्वा, खसरा नं0 351 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नं0 352 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 356 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नं0 414 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 415 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं0 खसरा नं0 416 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 447 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 473 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नं0 515 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नं0 606 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं0 607 रकबा 02 बिस्वा कुल किता 17 रकबा 17 बीघा 13 बिस्वा में हिस्सा 1/12 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी (SDM)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
सपोटरा जिला–करौली (राज0)